राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर

–:: निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करने संबंधी प्रक्रिया ::–

- पात्रता :–

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना रजिस्ट्रार संस्थाए से पंजीकृत समितियां या पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट द्वारा की जा सकती है जिसके संध–विद्यान पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन का उल्लेख होना चाहिए।

- आवेदन करने की प्रक्रिया :–

1. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन पत्र निदेशालय की वेबसाईट *http://dte.rajasthan.gov.in* से डाउनलोड कर प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र में आवश्यक सूचनाओं जिसमें प्रस्तावित केन्द्र का नाम मय पूर्ण पता, समिति का नाम मय पूर्ण पता, प्रस्तावित व्यवसायों/यूनिट की सूची निर्धारित कॉलम में स्पष्ठ रूप से उल्लेखित करें।
3. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवसायों की सूची एवं मानदण्ड़ निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
4. आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत समिति/ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण–पत्र व संविधान की सत्यापित प्रति, संस्था की वित्तीय सुदृढता का प्रमाण, स्वयं का डाक पता लिखा एक लिफाफा जिस पर 40रू मूल्य के डाक टिकट एवं दो लिफाफे जिस पर 10रू मूल्य के डाक टिकट लगे हो आवश्यक रूप से सलंग्न करें।

- आवेदन शुल्क :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार शुल्क **"पृथक–पृथक"** के डिमाण्ड ड्राफ्ट **"सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर"** के नाम हो सलंग्न करें–

1. आवेदन पत्र एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क
   (प्रत्येक का शुल्क 1000/–रूपये) : 2000– रूपये प्रति आवेदन पत्र
2. आशय–पत्र प्रोसेस शुल्क : 1000– रूपये प्रति यूनिट
   (*उदाहरण के लिये यदि 08 व्यवसाय प्रत्येक 02 यूनिट हेतु आवेदन किया गया है तो आशय–पत्र प्रोसेस शुल्क कुल 16 यूनिट हेतु 16000– रूपये होगा।)

- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पता :–

पूर्ण रूप से भरें हुए आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क सहित **"निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, डबल्यु –6, रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर"** प्रेषित करें।

- आशय–पत्र :–

1. आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाओं की निदेशालय स्तर पर जांच उपरान्त समिति/ट्रस्ट को केन्द्र एवं व्यवसाय एन.सी.वी.टी. के निर्धारित मानदण्ड़ानुसार व्यवस्थित करने का आशय पत्र प्रदान किया जाएगा।
2. समिति/ट्रस्ट को आशय पत्र में उल्लेखित एन.सी.वी.टी. मानदण्ड़ानुसार प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।

- <u>निरीक्षण हेतु प्रस्ताव</u> :–

केन्द्र में एन.सी.वी.टी. मानदण्ड़ानुसार प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के पश्चात् आशय पत्र के साथ सलग्न संबंधन निरीक्षण के निर्धारित प्रपत्र–3 में सुचनाएं पूर्ण कर पत्रावली प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर को निम्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करनी होगी :–

1. प्राथमिक निरीक्षण (**Pre Inspection**) हेतु निर्धारित शुल्क 2000/– रूपयें प्रति यूनिट के हिसाब से कुल राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि "<u>सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर</u>" के नाम हो।
2. 50,000 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त **Irrevocable** बैंक गारण्टी निर्धारित प्रारूप में (मूल) जिसकी अवधि 5 वर्ष हो मय बन्धक–पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर।
3. समिति/ट्रस्ट के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. संविधान की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. स्वयं की भूमि/भवन के रजिस्ट्रेशन/ऑनरशिप के दस्तावेज।
6. एम.के.एस. सिस्टम के अनुसार बिल्डिंग ले–आउट प्लान जो कि रजिर्स्टड आर्किटेक्ट द्वारा सही पैमाने में बनाया गया हो। पूर्व संचालित केन्द्रों के संबंध में पूर्व से चल रहे व्यवसायों को भी नक्शे में आवश्यक रूप से दर्शाना होगा।
7. विद्युत कनेक्शन के संबंध में केन्द्र के नाम निर्धारित किलोवाट का थ्री–फेज विद्युत कनेक्शन का विद्युत विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश, मीटर सिलिंग रिपोर्ट, एवं वर्तमान बिजली बिल की सत्यापित फोटो प्रति।
8. नये संशोधित पाठ्यक्रमानुसार व्यवसायवार एवं यूनिट अनुसार शत–प्रतिशत साजो–सामान यथा औजार, उपकरण एवं मशीनरी, फर्नीचर की सूची। (मुख्य मशनरी आईटमों के क्रय के प्रमाण सलंग्न करने आवश्यक है।) तथा सभी औजार, उपकरण एवं मशीनरी, फर्नीचर के क्रय के प्रमाण, क्रय के भुगतान के प्रमाण, व स्टोर स्टोक रजिस्टर में उनका इन्द्राज की जाँच निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्त्ता द्वारा की जावेगी।
9. एन.सी.वी.टी. के निर्धारित मानदण्ड़ानुसार पदस्थापित योग्यताधारी प्रधानाचार्य, व्यवसाय अनुदेशक, कार्यशाला गणना विज्ञान एवं इंजी. ड्राईग अनुदेशक व अन्य आवश्यक केन्द्र स्टाफ के योग्यता संबंधी प्रमाण, बायो–डाटा जिसमें पासपोर्ट साईज की संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की गई फोटो लगी हो, एवं उनके नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति।
10. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया मैरिट के आधार पर करने, NCVT के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की पूर्णतः पालना, परीक्षा संबंधी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना, बिना निदेशालय की पूर्व अनुमति के संस्था को बन्द नही करने व प्रवेश किये गये विद्यार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही संस्थान को आवश्यकता होने पर निदेशक की अनुमति से बन्द करना, संस्थान का संचालन मुनाफाखोरी हेतु नही करने संबंधी 10 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय की अन्डर टेकिंग।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्ण केन्द्र भवन की एक सी.डी. तैयार कर प्रस्तुत करें। जिसमें भवन का बाहरी भाग , निर्धारित किलो–वाट का थ्री–फेज विद्युत कनेक्शन मीटर, व्यवसायवार कार्यशालाएं जिसमें निर्धारित मानदण्ड़ानुसार आवश्यक औजार–उपकरण व फाउण्डेशन पर लगे चालु हालत में मशीनरी, कक्षा–कक्ष, प्रधानाचार्य–कक्ष, स्टाफ–रूम, लाईब्रेरी व अन्य आवश्यक सुविधाएं स्पष्ठ रूप से दर्शाई हो।

- **केन्द्र का प्राथमिक निरीक्षण :–**

राज्य स्तर की निरीक्षण कमेटी द्वारा केन्द्र का प्राथमिक निरीक्षण किया जाएगा। केन्द्र एवं संचालित किये जाने वाले व्यवसाय निर्धारित एन.सी.वी.टी. मानदण्ड़ानुसार सही पाए जाने पर निरीक्षण पत्रवली को मय अभिशंषा सहित क्षैत्रीय कार्यालय आर.डी.ए.टी. फरीदाबाद एन.सी.वी.टी. संबंधन कार्यक्रम प्राप्त करने हेतु भिजवाया जाएगा।

- **केन्द्र का एन.सी.वी.टी. निरीक्षण :–**

केन्द्र के व्यवसायों का एन.सी.वी.टी. सम्बन्धन हेतु भारत सरकार के प्रतिनिधि (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) सहित स्थाई कमेटी द्वारा केन्द्र/व्यवसाय का निरीक्षण किया जायेगा। इस हेतु एन.सी.वी.टी. सम्बन्धन निरीक्षण शुल्क 2000/– रूपयें प्रति यूनिट के हिसाब से कुल राशि का डिमाण्ड का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि "सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर" के नाम हो जमा कराना होगा। मानदण्ड़ानुसार सही पाए जाने पर निरीक्षण पत्रवली को मय अभिशंषा सहित डी.जी.ई.टी. नई दिल्ली भिजवाया जाएगा। निरीक्षण अभिशंषा अनुसार डी.जी.ई.टी. नई दिल्ली द्वारा एन.सी.वी.टी. सम्बन्धन का आदेश जारी किया जायेगा।

- **प्रवेश अनुमति :–**

केन्द्र के व्यवसाय/यूनिट जिनका डी.जी.ई.टी. नई दिल्ली द्वारा एन.सी.वी.टी. सम्बन्धन आदेश जारी किया जाएगा उन व्यवसाय/यूनिट में छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा जारी की जावेगी। जब तक निदेशालय द्वारा अनुमति प्रदान नही की जाती तब तक समिति/ट्रस्ट विद्यार्थियों के प्रवेश नही कर सकेगा।

- **कौशल विकास कोष शुल्क :–**

केन्द्रों में प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिये निदेशालय में **कौशल विकास कोष** का गठन किया गया है। प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार हेतु शुल्क रूपये 2500– **प्रति यूनिट प्रति वर्ष** के हिसाब से कुल राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के नाम प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- **केन्द्र का नियमित निरीक्षण :–**

प्रत्येक केन्द्र का वर्ष में दो बार विभाग से नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। इस हेतु शुल्क रूपये 3000– का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के नाम प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निरीक्षण में प्रत्येक व्यवसाय में छात्रों के प्रशिक्षण स्तर एवं आवश्यक मानदण्ड़ों की जाँच की जावेगी।

- **प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य दिशा–निर्देश :–**

1. संस्थान में विद्यार्थियों का प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जावेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व औ.बी.सी. के छात्रों हेतु नियमानुसार स्थान आरक्षित किए जायेगे। यदि इन श्रेणियों के छात्र उपलब्ध नही होते है, तो सामान्य श्रेणी के छात्रों से रिक्त स्थान भरे जा सकेगें।
2. केन्द्र के व्यवसायों में किये गये छात्रों का प्रवेश अनुमोदन निदेशालय द्वारा गठित कमेटी करेगी।
3. संस्थान की प्रबन्धन समिति विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण इस तरीके से करेगी कि इससे मुनाफाखोरी नही हो। लेकिन संस्थान के विकास हेतु रिजनेबल सरप्लस विकसित किया जा सकता हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा गरीब तबके के विद्यार्थियों हेतु रियायती शुल्क का निर्धारण भी समिति कर सकेगी।
4. संस्थान में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कलेण्डर लागू होगा। पाठ्यक्रम अनुसार केन्द्र में पूर्ण व्यवस्था करने का दायित्व संबंधित संस्थान प्रबन्धन का होगा।

5. परीक्षा का आयोजन NCVT द्वारा किया जावेगा। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा NCVT के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षा केन्द्र में पूर्ण व्यवस्था करने का दायित्व संबंधित संस्थान प्रबन्धन का होगा। अन्य केन्द्र आवंटित होने पर प्रेक्टीकल की सामग्री का प्रबन्ध संस्थान प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा।
6. प्रमाण पत्र – परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को NCVT से संबंधित व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
7. निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संस्थान का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा। संस्थान निरीक्षण अधिकारी को समस्त संबंधित रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध कराएगा।
8. यदि संस्थान के विरूद्ध शैक्षणिक स्तर में कमी व अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो इनकी जांच निदेशक, प्राविधिक शिक्षा व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा। जांच अधिकारी को समस्त रिकार्ड व सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्धन उत्तरदायी होगा। यदि प्रबन्धन जांच में सहयोग नही देता है तो राज्य सरकार प्रबन्धन को विधिवत नोटिस जारी कर संस्था में 6 माह तक या जांच रिपोर्ट के अंतिम होने तक, जो भी पहले हो प्रशासक नियुक्त की कार्यवाही संस्था को कारण बताओं नोटिस जारी करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् की जावेगी।
9. संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संचालन करने व पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व पूर्णतया संस्था का होगा। यदि संस्थान को सत्र के बीच में बन्द करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो शेष अवधि के प्रशिक्षण का खर्चा संस्था द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी से वहन किया जाकर प्रशिक्षण संचालित कराया जावेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर राज्य सरकार व विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी।